संख्या-04/2026/।/1196727/2025/001- 71-2099/1170/2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

एस0जी0पी0जी0आई0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक -06-01-2026

विषयः-संस्थान परिसर में निर्मित इमरजेन्सी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेंटर के उच्चीकरण के कार्यो हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 1099.39 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-90/621/2025, दिनांक 04-12-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान परिसर में निर्मित इमरजेन्सी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेंटर के उच्चीकरण के कार्यो हेतु स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1099.39 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि इक्विटी के रूप में शासन द्वारा अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रू0 10,548.13 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 28.02.2011 द्वारा धनराशि रू0 6332.82 लाख तथा शासनादेश दिनांक 30.03.2022 एवं शासनादेश दिनांक 27.06.2022 जी0एस0टी0 के रूप में धनराशि रू0 3115.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। यहॉ यह भी अवगत कराना है कि जी0एस0टी0 की धनराशि केवल सिविल वर्क पर ही देय थी, तथा धनराशि रू0 1099.39 लाख इक्विटी के रूप में अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान परिसर में निर्मित इमरजेन्सी मेडिसिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेंटर के उच्चीकरण के कार्यो हेतु स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1099.39 लाख इक्विटी (रुपये दस करोड़ निन्यानबे लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
5. प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 28 फरवरी, 2018 तथा शासनादेश दिनांक 30.03.2022, में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,99,39,000 (रुपये दस करोड़ निन्यानबे लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-04/2026/।/1196727/2025/001-71-2099/1170/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।